सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3590/MH/60/2026-RU-I

दिनांक: 18.05.2026

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पालघर,
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल:collector.palghar@maharashtra.gov.in

विषय: सर्वे नं. 188/14/अ, ग्राम मोरे, तालुका वसई, जिला पालघर की पुश्तैनी आदिवासी भूमि एवं घर पर वारिसों का नाम 7/12 में दर्ज कराने तथा मालिकाना हक दिलाने के संबंध में श्रीमती मंजू रवि दांडेकर एवं अन्य से प्राप्त संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 19.01.2026 के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 20.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती मंजू रवि दांडेकर
विरार रोड, हनुमान मंदिर के पास रूम नं-369,
पासारे निवास जय हिन्द चाल,
मोरेगाँव, नलासुपारा(पूर्व),ठाणे,
महाराष्ट्र- 401209,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3590/MH/60/2026-RU-I

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

सर्वे नं. 188/14/अ, ग्राम मोरे, तालुका वसई, जिला पालघर की पुश्तैनी आदिवासी भूमि एवं घर पर वारिसों का नाम 7/12 में दर्ज कराने तथा मालिकाना हक दिलाने के संबंध में दिनांक 19.01.2026 को श्रीमती मंजू रवि दांडेकर एवं उनकी तीन बहनों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में दिनांक 20.04.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 20.04.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्रीमती मंजू रवि दांडेकर एवं उनकी तीन बहनों द्वारा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि ग्राम मोरे, तालुका वसई, जिला पालघर स्थित सर्वे नं. 188/14/अ की भूमि उनके पूर्वज स्व. वामन शिनवार किरकिरा के नाम दर्ज थी तथा यह भूमि पिछले 50–60 वर्षों से उनके परिवार के कब्जे एवं उपयोग में है। अभ्यावेदन के अनुसार, शिकायतकर्ता अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं तथा उनके पास 7/12 उतारा, घरपट्टी/पानीपट्टी रसीदें, मंदिर निर्माण से संबंधित साक्ष्य एवं वंशावली जैसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद, राजस्व विभाग द्वारा आज तक उक्त भूमि के संबंध में वारिसों के रूप में शिकायतकर्ताओं का नाम 7/12 अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे उनके वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। आवेदकों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके नाम वारिस के रूप में दर्ज कर भूमि, घर, मंदिर एवं दुकान पर उनका वैध स्वामित्व सुनिश्चित किया जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-पालघर को दिनांक 23.02.2026 को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक संबंधित प्राधिकरण से कोई भी प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।

6. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-पालघर के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. नरेंद्र माने, तहसिलदार तथा तथा याचिकाकर्ता उपस्थित रहे । सुनवाई के दौरान संबंधित प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण से संबंधित लिखित अभिलेख/दस्तावेज दिनांक 18.04.2026 प्रस्तुत किए गया और अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त भूमि 7/12 अभिलेख में श्री दीपक दत्तात्रेय गव्हाणकर एवं अन्य के नाम दर्ज है। जांच में यह भी पाया गया कि भूमि पर अनाधिकृत चाळ (निर्माण) किए गए हैं तथा शिकायतकर्ताओं के निवास, दुकान एवं मंदिर भी उक्त भूमि पर स्थित हैं। अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ताओं के पूर्वज (वामन शिनवार किरकिरा) का नाम वर्ष 1995-96 की पीकपाहणी में दर्ज था, किन्तु उनका नाम नियमित रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

तहसीलदार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ताओं को अपने नाम 7/12 में कुळ (tenancy rights) के रूप में दर्ज कराने हेतु महाराष्ट्र कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 की धारा 70 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके संबंध में उन्हें सूचित भी किया गया है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

7. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह अनुशंसा की जाती है कि शिकायतकर्ता, अपने वैधानिक अधिकारों की स्थापना हेतु महाराष्ट्र कुळवहीवाट एवं शेतजमीन अधिनियम, 1948 की धारा 70 के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पालघर के समक्ष विधिवत दावा प्रस्तुत करें। अतः वर्तमान में आयोग के स्तर पर इस मामले में आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं.: NCST/ATY-3590/MH/60/2026-RU-I

दिनांक: 20.04.2026

विषय: सर्वेनं. 188/14/अ, ग्राम मोरे, तालुका वसई, जिला पालघर की पुश्तैनीआदिवासी भूमि एवं घर पर वारिसों का नाम 7/12 में दर्ज कराने तथा मालिकाना हक दिलाने के संबंध में श्रीमती मंजू रवि दांडेकर एवं अन्य से प्राप्त संयुक्तअभ्यावेदन दिनांक 19.01.2026 के संदर्भ में आयोग के माननीयअध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.04.2026 कोआयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाषनंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठअन्वेषक		
5.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-पालघर 401404, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाषनंबर	हस्ताक्षर
1.	डॉ. नरेंद्र माने	तहसिलदार जि. वसई.पालघर	8856831923	[signature] 20/04/2026
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाषनंबर	हस्ताक्षर
1.	सौ. मंजु रवि दांडेकर		8830448552	
2.				
3.				
4.				